फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय सहायक कलक्टर राशमी** मुकाम **राशमी**

शांतिलाल पिता राजु माली वगैराह बनाम **जगदीश पिता दुर्गालाल वगैराह**

किस्मा मुकदमा **राजस्व वाद** नं0 15 सन् **2017**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/01/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी हाजीर । तहसीलदार राशमी से प्रस्ताव जरिये पत्रांक 370/29.05.2023 को प्रेषित किया गया जिसे रेकॉर्ड पर लिया जाता है। अधिवक्ता वादी द्वारा तहसीलदार राशमी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। मनन किया। तहसीलदार राशमी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पत्रांक :राजस्व/भू0अ0/2023/370 दिनांक 29.05.2023 को स्वीकार किये जाने से वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है। एवं आदेश दिया जाता है कि मौजा बख्तावरपुरा पटवार हल्का सोमी की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 268 रकबा 0.8579 है0 किस्म बारानी–2 लगान 3.71 रूपया, का शान्तिलाल पुत्र राजु हिस्सा 1/7,ईश्वरलाल पुत्र राजु हिस्सा 1/7,हंगामी पुत्री राजु हिस्सा 1/7,संतोषी पुत्री राजु हिस्सा 1/7,रतनी पुत्री राजु हिस्सा 1/7,रेखा पुत्री राजु हिस्सा 1/7,कस्तुरी पत्नि राजु हिस्सा 1/7जाती माली सा0देह राशमी खातेदार,आराजी संख्या 272 रकबा 0.8660 है0 किस्म बारानी–2, लगान 3.74 रूपया, का रोशन पुत्र रूपा हिस्सा 1/5,लाला पुत्र रूपा हिस्सा 1/5,दुर्गा पुत्र रूपा 1/5,सोहनी पुत्री रूपा हिस्सा 1/5,रूकमणी पत्नि रूपा हिस्सा 1/5 जाति माली सा0देह राशमी खातेदार, एवं मौजा कीरो का खेडा पटवार हल्का सोमी की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 553 मे से रकबा 0.2266 है0 किस्म बारानी–2 लगान 0.98 रूपया का शान्तिलाल पुत्र राजु हिस्सा 1/7,ईश्वरलाल पुत्र राजु हिस्सा 1/7,हंगामी पुत्री राजु हिस्सा 1/7,संतोषी पुत्री राजु हिस्सा 1/7,रतनी पुत्री राजु हिस्सा 1/7,रेखा पुत्री राजु हिस्सा 1/7,कस्तुरी पत्नि राजु हिस्सा 1/7जाती माली सा0देह राशमी खातेदार, आराजी संख्या 553 मी0 रकबा 0.4533 है0 किस्म बारानी–2 लगान 1.96 रूपया का दुर्गा पुत्र रूपा हिस्सा 2/3,रोशन पुत्र रूपा हिस्सा 1/6,लाला पुत्र रूपा हिस्सा 1/6,जाति माली सा0राशमी खातेदार खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तद्नुसार जमाबन्दी में अंकन किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावे। रहन बदस्तुर रखा जावे। अधिवक्ता वादी द्वारा नियमानुसार कोर्ट फीस पेश की गई जिसे रेकॉर्ड पर ली जाकर शा0पत्रावली की गई। तद्नुसार पर्चा डिक्री अंतिम जारी हो। पत्रावली की गणना बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भेजी जावे। यह निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।	

(गोविन्द सिंह)

Signature Not Verified

Digitally signed by Govind Singh
Date: 2024.02.12 16:31:19 IST
Reason: SelfAttested